संचालनालय महिला एवं बाल विकास म.प्र.

विजयाराजे वात्सल्य भवन प्लाट नम्बर 28,जेल रोड अरेरा हिल्स,भोपाल

क्रमांक/पोआ/2011/288 भोपाल, दिनांक 14.2.2011

प्रति,

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
महिला एवं बाल विकास,
जिला–बैतूल,भोपाल,राजगढ़,भिण्ड,श्योपुर,इन्दौर,झाबुआ,बालाघाट,
जबलपुर,रीवा,सीधी,दमोह,सागर,टीकमगढ़ एवं नीमच (म.प्र.)

विषय :–वित्तीय वर्ष 2010–11 में सबला योजनान्तर्गत किशोरी बालिकाओं के लिए एम.पी.एग्रो के माध्यम से विभिन्न रैसिपी अनुसार पूरक पोषण आहार का प्रदाय।

राज्य मंत्री परिषद की बैठक दिनांक 7.2.11 में लिये गये निर्णय अनुसार सबला योजनान्तर्गत 11 से 18 आयु वर्ग की किशोरी बालिकाओं के लिये पूरक पोषण आहार का प्रदाय एम.पी.एग्रो. इण्डस्ट्रीज कार्पो. लि. भोपाल द्वारा किया जाना है।

राज्य शासन के निर्देशों के अनुरूप आंगनवाडी केन्द्रों में सबला योजनान्तर्गत 11 से 14 वर्ष की शाला त्यागी व 14–18 वर्ष की सभी किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषण आहार के रूप में संलग्न परिशिष्ट –01 के अनुसार गेहूँ सोया बर्फी प्रीमिक्स/खिचड़ी का वितरण टेकहोम राशन के रूप में साप्ताहिक किया जाना हैं ।

एम पी एग्रो द्वारा प्रदाय किये जाने वाले उक्त पूरक पोषण आहार को प्राप्त कर आंगनवाडी केन्द्रों के माध्यम से वितरण किया जावें ।

स्कूल जाने वाली 15–18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को शनिवार व अन्य किशोरी बालिकाओं को मंगलवार को एम.पी.एग्रो द्वारा प्रदाय की जाने वाली सामग्री में से एक चयनित सामग्री का पैकेट 05 दिवस हेतु किशोरी बालिकाओं को वितरित किया जावें ।

एम.पी.एग्रो द्वारा उक्त सामग्री परियोजना स्तर पर एक साथ मासिक रूप से प्रदाय की जावेगी । एम.पी.एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन द्वारा उक्त खाद्य सामग्री सील बंद पैक में प्रदाय की जावेंगी,तथा बैग पर सबला योजना का नाम,खाद्य सामग्री की उत्पादन तिथि,सैल्फ लाइफ तथा निर्धारित कैलोरी, प्रोटीन की मात्रा एवं अन्य तत्वों की जानकारी अंकित की जावेंगी ।

परियोजना अधिकारी, तत्काल परियोजना स्तर पर आंगनवाडी कार्यकर्ताओं एवं पर्यवेक्षकों की बैठक आयोजित कर सबला योजनान्तर्गत सर्वे अनुसार 11 से 18 आयु वर्ग की पोषण आहार सेवा हेतु चयनित किशोरी बालिकाओं को विभिन्न रैसिपी अनुसार खाद्य सामग्री वितरण करने के संबंध में आवश्यक निर्देश देवें ताकि योजना का सफल क्रियान्वयन प्रदेश में किया जा सकें ।

(संलग्न:–उपरोक्तानुसार)

(अनुपम राजन)
संचालक
महिला एवं बाल विकास म.प्र.

Jen-Leter-11

पृ.कमांक/पो.आ/2011/ 2.89 भोपाल, दिनांक 14.2.2011

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर जिला सर्वसंबंधित म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संयुक्त संचालक/प्रभारी संयुक्त संचालक संभागीय कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग– समस्त म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. प्रबन्ध संचालक,एम.पी.एग्रो पंचानन भवन मालवीय नगर भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. समस्त परियोजना अधिकारी,बाल विकास परियोजना (सर्वसंबंधित) जिला– बैतूल,भोपाल, राजगढ़,भिण्ड,श्योपुर,इन्दौर,झाबुआ,बालाघाट,जबलपुर,रीवा,सीधी,दमोह,सागर,टीकमगढ़ एवं नीमच की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । कृपया सबला योजनान्तर्गत 11 से 18 आयु वर्ग की किशोरी बालिकाओं को एम.पी.एग्रो द्वारा प्रदाय किये जाने वाले पूरक पोषण आहार को तत्काल प्राप्त कर आंगनवाडी केन्द्रों में किशोरी बालिकाओं को संलग्न परिशिष्ट 01 में दी गई मात्रा अनुसार वितरण किया जाना सुनिश्चित करें । खाद्य सामग्री प्राप्त करते समय ट्रक चालानों/ प्राप्ति अभिस्वीकृति में वास्तविक रूप से प्राप्त सामग्री का नाम,उसकी मात्रा तथा सामग्री प्राप्तकर्ता का नाम स्पष्ट रूप से अंकित किया जावें ।

संचालक

महिला एवं बाल विकास म.प्र.

Jen-Leter-11

महाप्रबंधक